जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक एफ/अकादमी/सभा/2018/539 दिनांक 15.02.2018

प्रति

विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष/
अधिकारी/समन्वयक/अनु.अधिकारी/अधीक्षक,
समस्त विभाग/अध्ययनशालायें,
जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर

स्मरण–पत्र

विषयः– कार्यपरिषद् की बैठकों/विशेष बैठकों दिनांक 15.05.2017, 27.05.2017, 13.06.2017, 05.08.2017 एवं 21.11.2017 में लिये गये निर्णयों पर आपके विभाग/अध्ययनशाला द्वारा की गई कार्यवाही का पूर्ण ब्यौरा भेजने बाबत्।

संदर्भः– पत्र क्रमांक एफ/अकादमी/सभा/2017/528 दिनांक 22.12.2017

महोदय/महोदया,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि, कार्यपरिषद् के निर्देशानुसार उक्त बैठकों के कार्यविवरणों में आपके विभाग/अध्ययनशाला से सम्बन्धित पदों/विषयों पर लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही की जानकारी (पालन–प्रतिवेदन) संलग्न फार्मेट अनुसार पत्र जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से अकादमी विभाग (सभा शाखा) में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु आज दिनांक तक जानकारी इस कार्यालय में अप्राप्त है।

उक्त जानकारी आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में सूचनार्थ प्रस्तुत की जानी है। अतः पालन–प्रतिवेदन शीघ्र ही इस कार्यालय की ओर भेजने की व्यवस्था करें। जानकारी प्राप्त न होने की दशा में संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित का होगा।

आपकी सुविधा हेतु इस पत्र के साथ (फार्मेट) सूची संलग्न की जा रही है जिसमें स्पष्ट रूप से यह अंकित है कि, आपके विभाग द्वारा किन–किन विषयों/पदों पर कार्यवाही की जानी है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

भ व दी य

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–
1. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. पत्रावली हेतु।

उप–कुलसचिव(अकादमी)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

//कार्यपरिषद् की बैठकों दिनांक 15.05.2017 से 21.11.2017 तक का पालन-प्रतिवेदन//

(EC Action-Taken Report)

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक एवं निर्णय अनुक्रमांक /पद	विभाग का नाम	प्रदत्त प्रशासकीय / वितिय स्वीकृति का संक्षिप्त विवरण एवं स्वीकृत राशि	प्रदत्त स्वीकृत के विरुद्ध व्यय की गई राशि	लिये गए प्रशासकीय निर्णय का संक्षिप्त विवरण	संबंधित विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण	कार्य में यदि विलंब हुआ तो कारण स्पष्ट किया जावे	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12.05.2017 की स्थगित दिनांक 15.05. 2017	--	--	--	--	--	--	--
01	गोपनीय	--		पद क्रमांक-10 जो कि, परीक्षा कार्य हेतु अनुबंध किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा एक समिति का गठन किया गया था (आदेश दिनांक 27.04.2017) जिसके परिपालन में प्राप्त प्रतिवेदन और अधिक स्पष्ट एवं विस्तृत रूप में प्रस्तुत करने के लिये निम्नानुसार समिति गठित की जाती है :- 1. प्रो. आर.जे. राव, अध्यक्ष 2. प्रो. डी.डी. अग्रवाल 3. प्रो. नलिनी श्रीवास्तव 4. वित्त नियंत्रक 5. परीक्षा नियंत्रक चूंकि, विश्वविद्यालय का परीक्षा कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसी स्थिति में इस कार्य को रोका जाना संभव नहीं होने के कारण आगामी छः माह के लिये अनुबंध की शर्तों के अनुरूप समयावधि में वृद्धि की जाती है तथा संबंधित ऐजेंसी द्वारा की गई अनियमितताओं एवं शिथिलता के विरुद्ध शो-कोज नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी कार्यपरिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।			
10	पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध	जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की विभिन्न अध्ययनशालाओं में वर्ष 2017-18 में विदेशी छात्रों/एन.आर.आई. छात्रों से प्रवेश के समय ली जाने वाली शुल्क तथा जीवाजी विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रवेश के समय किये जाने वाले आरक्षण का प्रावधान करने हेतु विचार किया गया।		प्रस्ताव अनुसार प्रकरण में स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
20(अ-अ-1)	प्रशासन/ लेखा	कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04 जनवरी, 2010 के पद क्रमांक 11 पर लिये गये निर्णयानुसार अधिकारी/कर्मचारियों को वर्ष 2010 के द्वारा		विश्वविद्यालय अधिकारी/कर्मचारियों को प्रदान किये जाने वाले श्रमसाध्य भत्ते की राशि में बढ़ोत्तरी संबंधी प्रस्ताव स्थगित किया जाता है तथा प्रकरण समन्वय 'समिति द्वारा' लिये गये निर्णय/नियम के साथ प्रस्तुत किया			

		प्रदान किये जा रहे श्रमसाध्य भत्ते को बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये जा रहे श्रमसाध्य भत्ते के समान बढ़ाकर प्रदान किये जाने पर विचार किया गया।		जावे।			
20(अ-अ-7)	विधिक विभाग	श्री डी.पी. सिंह, सदस्य कार्यपरिषद् द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया कि, वर्तमान में प्रचलित अधिवक्ताओं के पैनल को तत्काल निरस्त किया जाना चाहिये तथा नवीन पैनल का गठन किया जाना चाहिय पर विचार किया गया।		श्री डी.पी. सिंह सदस्य कार्यपरिषद् द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार वर्तमान में मान्य अभिभाषकों के पैनल को भंग किया जावे। साथ ही श्री डी.पी. सिह सदस्य कार्यपरिषद् के सहयोग से नवीन अधिवक्ता पैनल का गठन किया जावे तथा दिनांक 30 एवं 31.05. 2017 को एक लोक अदालत आयोजित की जावे। जिसमें उन सभी अभिभाषकों को उन्हें आबंटित प्रकरणों के साथ आमंत्रित किया जावे तथा प्रकरणों की समीक्षा के उपरांत संबंधित अभिभाषकों को प्रकरणों का आबंटन किया जावे।			
20(अ-अ-14)	विधिक / परीक्षा/ गोपनीय	कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 के पद क्रमांक-3 के निर्णयानुसार मनोदीप हायर ऐज्यूकेशन सोसायटी, ग्वालियर हेतु एम.एड. पाठ्यक्रम की परीक्षा संबंधी रिव्यू पिटिशन हेतु विचार किया गया।		उक्त प्रकरण में कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदित नवीन अधिवक्ताओं के पैनल से रिव्यू पिटिशन फाईल करने हेतु 15 दिवस का अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
27 मई, 2017	--	--	--	--	--	--	--
03(अ-अ-2)	सी.आई. एफ. विभाग	CIF विभाग के लिये माननीय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29.11. 2016 के पद क्रमांक 19 पर विभिन्न उपकरण क्रय करने के लिये दी गई प्रशासकीय स्वीकृति के आधार पर क्रय प्रक्रिया चालू वित्त वर्ष में पूर्ण करने की स्वीकृति पर विचार किया गया।		प्रकरण में प्रस्ताव अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
05.08.2017	--	--	--	--	--	--	--
01	गेपनीय /स्टोर			कार्यपरिषद की दिनांक 12 मई, 2017 की स्थगित बैठक दिनांक 15 मई, 2017 की पुष्टि निम्नलिखित के साथ की जाती है :- पद क्रमांक-01 पर लिये गये निर्णयानुसार प्रकरण में समिति का गठन किया गया था। गठित समिति द्वारा यह पाया गया कि, आई.टी.आई. बैंगलौर द्वारा परीक्षा कार्य कराने हेतु राशि लगभग तीन करोड रूपये से अधिक होने के कारण समिति द्वारा यह अनुशंसा की गई है कि, इस कार्य को निविदा के आधार पर आबंटन करना उपयुक्त होगा। तद्नुसार कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये विश्वविद्यालय द्वारा निविदा आमंत्रित की जा चुकी है एवं निविदा प्रक्रियारत होने के कारण की गई कार्यवाही का अनुमोदन 31 जुलाई, 2017 के			